11-2-17 आज यह प्रश्न राष्ट्रीय लोक अदालत-2017 के पश्चात पेश हुआ प्रकरण में माननीय ADJ न्यायालय, के समक्ष समझौता होने लिये पत्रावली में उपलब्ध शपथ पत्र में समझौता के संबंध किसी भी प्रकार का किया जाना मुमकिन नहीं है अतः पत्रा. नामंजूर कर हाल दस्तियाब दफ्तर की जाती है। अदालत में नहीं मंगाया जावे। नियमित राष्ट्रीय लोक अदालत में कि प्रकरण लाया जाया गया।

मोहर्रिर

रघुवीर सिंह एडवोकेट

Scanned by CamScanner